

राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम:-

मानव सभ्यता के प्रारम्भ से ही क्षय रोग एक गहन सामाजिक आर्थिक चुनौती बना हुआ है। इस रोग पर नियन्त्रण के लिये भारत सरकार ने 1962 से राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम लागू किया। इसके अन्तर्गत जिला स्तर पर एक सुपरविजन एवं मोनिटरिंग इकाई के रूप में जिला क्षय निवारण केन्द्र की स्थापना की गई। हमारे प्रदेश में 1966 से उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति की गई।

सन् 1992 में भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा किये जाने पर क्षय रोगी की खोज एवं उपचार पूर्ण करने की दर अपेक्षा के विपरीत क्रमशः 30-40 प्रतिशत पाई गई। इस के प्रमुख कारण आर्थिक कमी, जाँच एवं उपचार सेवाओं का केन्द्रीकरण, उपचार पर सीधी निगरानी का अभाव, दवाओं की अनियमित आपूर्ति, प्रशिक्षण एवं अन्य संसाधनों की कमी रही है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम:-

विश्व बैंक पोषित व विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी मार्ग दर्शन तथा टी.बी. अनुभाग, भारत सरकार के सहयोग से संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट कोर्स (डॉट्स प्रणाली) वर्ष 1995 से जयपुर शहर में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत क्षय रोगी को चिकित्साकर्मी की देखरेख में 6 माह तक क्षय निरोधक औषधियों का प्रतिदिन सेवन कराया जाता है। जांच एवं उपचार सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण करते हुये सामान्यतया 5 लाख की आबादी एवं जनजाति व मरुस्थलीय क्षेत्र में 2.50 लाख की आबादी पर एक टी.बी. यूनिट (सुपरविजन एवं मोनिटरिंग इकाई), सामान्य क्षेत्र में 1 लाख की आबादी एवं जनजाति व मरुस्थलीय क्षेत्र में 50,000 की आबादी पर एक माइक्रोस्कोपी केन्द्र (जांच एवं उपचार इकाई), 20-25 हजार की आबादी पर उपचार केन्द्र व 3-5 हजार की आबादी पर डॉट्स केन्द्र (औषधि सेवन इकाई) की स्थापना किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम:-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक क्षय रोग (टी.बी.) का उन्मूलन करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की अनुपालना में संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम का नाम 01 जनवरी 2020 से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम - National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP) निश्चित किया गया है।

विभागीय संरचना

1	राज्य क्षय नियन्त्रण प्रकोष्ठ	1
2	स्टेट टी.बी. डेमोंस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर, अजमेर	1
3	जिला क्षय नियन्त्रण केन्द्र	34 (जयपुर में दो तथा प्रत्येक जिले में एक)
4	टी.बी. यूनिट	283 (सामान्य क्षेत्र में प्रत्येक 1.5 - 2.5 लाख की जनसंख्या पर, तथा ट्राइबल एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रत्येक 50000 की जनसंख्या तक)
5	माइक्रोस्कोपी केन्द्र	848 सामान्य क्षेत्र में प्रत्येक एक लाख जनसंख्या पर एक तथा डेजर्ट एवं ट्राइबल क्षेत्र में प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक

6	कल्चर/डीएसटी लैब प्रथम लाईन	3 1. आईआरएल लैब, स्टेट टी.बी. डेमोंस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग सेन्टर, अजमेर 2. माइक्रोबायोलोजी लैब, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर 3. माइक्रोबायोलोजी लैब, एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
7	उपचार केन्द्र (DOT Centers)	> 2000
8	उप केन्द्र/ ट्रीटमेन्ट ऑब्जर्वेशन पॉइन्ट	>15000 (प्रत्येक 3-5 हजार जनसंख्या पर)
9	कल्चर/डीएसटी लैब 2 nd लाईन	1 माइक्रोबायोलोजी लैब, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
10	जीन एक्सपर्ट लैब	60 आईआरएल अजमेर, ब्यावर (अजमेर), अलवर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंजरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर प्रथम, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, एसएमएस जयपुर, दौसा, बहरोड, बालोतरा, डीग, शाहपुरा-भीलवाडा, लूणकरणसर, निम्बाहेडा, रतनगढ़-चूरू, सागवाडा, अनुपगढ़, नोहर, श्वसन रोग संस्थान-जयपुर, चौमूं, सांचौर, फलोदी, कल्चर डीएसटी लैब-जोधपुर, न्यू मेडिकल कॉलेज-कोटा, डीडवाना, प्रतापगढ़, गंगापुरसिटी, नीम का थाना, मालपुरा, सलूमबर, टीबी हॉस्पिटल-बडी, जयपुर द्वितीय, धौलपुर, बून्दी, करौली, मोबाईल वैन, पेंसिफिक मेडिकल कॉलेज, उदयपुर

निक्षय पोषण योजना

निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड टीबी रोगी को उपचार अवधि तक पोषक आहार हेतु 500रु प्रतिमाह सीधे बैंक अकाउन्ट में दिये जा रहे है। योजना का लाभ लेने के लिये रोगी को अपने बैंक खाते का विवरण सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

गैर सरकारी संगठनों/ निजी चिकित्सकों की भागीदारी

डाट्स प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक टीबी रोगी तक पहुंचाने के लिये जन सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से 23 गैर सरकारी संगठनों तथा 148 निजी चिकित्सकों को पार्टनरशिप गाईडलाईन 2014 के अन्तर्गत भागीदार बनाया गया है। इनके माध्यम से डाट्स प्रणाली के अन्तर्गत टीबी रोगियों को निशुल्क जांच व उपचार सेवाएँ उपलब्ध करवायी जा रही है। निजी उपचार ले रहे रोगियों का प्रथम बार नोटिफिकेशन किये जाने पर निजी चिकित्सकों को नोटिफिकेशन हेतु 500रु दिये जा रहे है।

सीबी नॉट मशीन

एमडीआर रोग की मात्र दो घंटे में जांच करने के लिये राज्य में 60 अत्याधुनिक जीन एक्सपर्ट मशीन सीबी नॉट स्थापित की गई है। निजी उपचार ले रहे रोगियों की भी निजी चिकित्सक सीबी नॉट मशीन से निशुल्क जांच करा सकते हैं।

पीएमडीटी गाईडलाईन

डी.आर.-टी.बी. रोग की जांच एवं उपचार सुविधाएं भी संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध है। डी.आर. ट्रीटमेंट हेतु नई शार्ट कोर्स रजिमेन द्वारा रोगियों का उपचार प्रारम्भ किये जाने एवं उच्च गुणवत्ता की नई दवाओं बिडाकुलीन और डेलामिनाईड को निशुल्क उपचार हेतु कार्यक्रम में शामिल किये जाने हेतु 07 डीआरटीबी केन्द्रों को नोडल डीआरटीबी केन्द्रों में परिवर्तित किया गया है। राज्य के समस्त जिलों में डीआरटीबी केन्द्र स्थापित किये गए हैं जिनमें डी.आर.-टी.बी. रोगियों को भर्ती करने एवं साधारण दुष्प्रभावों के प्रबन्धन की सुविधा उपलब्ध है। डीआरटीबी रोग के जटिल और लम्बी अवधि के उपचार से मरीजों को राहत देने के लिये Shorter MDR Regimen राज्य में लागू की गई है इसके तहत रोगियों को 24 से 27 माह की जगह सिर्फ 9 से 11 माह ही उपचार लेना है।

नोडल डीआरटीबी केन्द्र

1. वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर प्रथम
2. वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर द्वितीय ।
3. वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर
4. वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, बडी, आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
5. कमला नेहरू वक्ष एवं क्षय अस्पताल, डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
6. वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
7. वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज, कोटा

उपब्धियां (दिनांक 31.12.2019 तक)

1. रजिस्टर्ड टी.बी. रोगियों की संख्या

2015	2016	2017	2018	2019
90296	106756	105953	160225	1,70,511

2. रजिस्टर्ड – एम.डी.आर. / एक्स.डी.आर.रोगियों की संख्या

	2015	2016	2017	2018
एम.डी.आर.	1750	2094	2559	3108
एक्स.डी.आर.	114	128	190	136

3. रजिस्टर्ड – डी.आर.टी.बी. रोगियों की संख्या (2019) - 3862

भौतिक उपलब्धियां

क्र.सं	गतिविधि	उपलब्धियां					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	खोज दर प्रतिलाख/प्रतिवर्ष (पब्लिक एवं प्राईवेट)	131	139	143	139	207	217

सेवाओं का विस्तार

1. टीबी के सम्भावित लक्षणों वाले पीएल एचआईवी रोगियों की टीबी हेतु जांच करवाना ।
2. मेडिकल कॉलेज, रेलवे, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, आई.एम.ए., निजी चिकित्सालय, एवं स्वयं सेवी संस्था की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. राज्य की समस्त आशा सहयोगिनियों की कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित कर रेफरल व डाट्स उपचार सेवाओं का विस्तार करना।
4. कार्यक्रम में जनभागीदारी बढ़ाने हेतु आई0ई0सी0 के माध्यम से व्यापक प्रचार एवं प्रसार।
5. एकटीव कैस फाइन्डिंग अभियान द्वारा रोगियों की सघन खोज करना।
6. निजी चिकित्सकों की कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता बढ़ाना एवं निजी उपचारत टी बी रोगियों का नोटिफिकेशन करना।
7. कैमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं की कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित कर टी बी रोगियों की सूचना प्राप्त कर टी बी रोगियों का विश्लेषण कर नये रोगियों का नोटिफिकेशन करना।

कार्यक्रम विशेष दिवस का विवरण- 1. विश्व क्षय रोग दिवस (24 मार्च)